कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ।

पत्रांक 147 /14–10 ,अलीगढः दिनांकः जुलाई, 31 ,2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषयः– **कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 9.10 की दांयी पटरी पर ग्राम–हरदुआगंज के खसरा सं0– 176 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0783 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 01 वृक्ष के पातन की अनुमति।**

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक 1472/11–सी–अलीगढ़/14131/2015 दिनांक 22.01.2019, 1795/11–सी–अलीगढ़/14131/2015 दिनांक 13.03.2019 एवं प्राप्त मौखिक निर्देश व आपका पत्रांक 3122/14–1 दिनांक 26.03.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में संदर्भित पत्र एवं मौखिक निर्देशों द्वारा विषयक प्रस्ताव में लगायीं गयीं आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार कर संशोधित प्रस्ताव 04 प्रतियों में संस्तुति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

S.No.	Observation	REPLY
1	प्रस्तावित परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य संलग्न नहीं किया गया है।	प्रस्तावित परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य संलग्न कर प्रेषित है। (पृष्ठ सं0 71)
2	रिटेल आउटलट जिस भूमि पर स्थापित की जानी है, उसकी सत्यापित खतौनी संलग्न नहीं है।	रिटेल आउटलट जिस भूमि पर स्थापित की जानी है, उसकी सत्यापित खतौनी संलग्न है। (पृष्ठ सं0 73)
3	भारत सरकार के पत्रांक–11–268/2014–एफ0सी0 दिनांक 11.07.2014 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव तैयार करने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।	भारत सरकार के पत्रांक–11–268/2014–एफ0सी0 दिनांक 11.07.2014 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव तैयार करने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न है। (पृष्ठ सं0 72)
4	के0एम0एल0 फाईल त्रुटिपूर्ण है। उसमें non-forest land स्थिति नहीं है। साथ ही forest land भी गलत दर्शायी गयी है।	के0एम0एल0 फाईल में non-forest land स्थिति दर्शाते हुए, forest land को सही दर्शा दिया गया है एवं नवीन DGPS मैप संलग्न है। (पृष्ठ सं0 48)

इसके अतिरिक्त अवगत कराना है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा रिटेल आउटलेट का सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बिना सम्पर्क मार्ग निर्माण पूर्ण कराकर, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है। जिसका मौका निरीक्षण पर तथ्य सही पाये जाने पर, क्षेत्रीय वन अधिकारी, अलीगढ़ रेंज द्वारा केस सं0 33/18–19/अलीगढ़ दि0 23.02.2019 जारी कर विधिक कार्यवाही की गयी है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक 23.10.2019 पर पाया गया कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित स्थल पर वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग कर, सम्पर्क मार्ग निर्माण पूर्ण कर लिया है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 के प्राविधानों के अनुसार निम्न कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

क0 सं0	बिन्दु संख्या	अनुपालन आख्या (मय संलग्नकों सहित)
(i)	The penalty for violation shall be equal to NPV of forest land per hectare for each year of violation from the date of actual diversion as reported by the inspection officer with maximum upto five (5) times the NPV plus 12 percent simple interest till the deposits is made.	Penalty Calculation Certificate संलग्न है। (पृष्ठ सं0–64)
(ii)	In case of public utility projects of the government the penalty shall be 20% of the penalty proposed in para (i) above.	Penalty Calculation Certificate संलग्न है। (पृष्ठ सं0 64)
(iii)	State government will initiate disciplinary action against the official concerned for not being able to prevent use of forest land for non-forestry purpose without prior approval of Government of India.	उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)– (पृष्ठ सं0 59–63)

(iv)	User agency responsible for violation shall be prosecuted under local act of the state for unauthorized use of forest land without the permission of state authority.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में सक्षम स्तर से बिना अनुमति प्राप्त किये, रिटेल आउटलेट के निर्माण किये जाने के कारण, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेंसी पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में निम्न आवश्यक अभिलेख संलग्न हैं–
		1. प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ की Site Inspection Report/प्रमाण पत्र। (पृष्ठ सं0 53) 2. वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ द्वारा वन (संरक्षण) नियमावली, 2003 की धारा–9 (1) के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेंसी को पत्र सं0 3502/14–1 दि0 03.05.2019 द्वारा निर्गत नोटिस की प्रति। (पृष्ठ सं0 58) 3. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में 04 बिन्दओं की बिन्दुवार आख्या का उल्लंघन प्रस्ताव। (पृष्ठ सं0 55–56) 4. H2-Case Compound कर सत्यापित कराकर, प्रस्ताव में Receipt सहित संलग्न कर प्रेषित है। (पृष्ठ सं0 57ए–57बी)

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एन0पी0 उपाध्याय)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपिः डिवीजनल मैनेजर, नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0), वर्ल्ड ट्रेड टावर, 1105–06 ग्यारवां तल, सेक्टर–16, नोएडा–201309 (उ0प्र0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एन0पी0 उपाध्याय)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।